न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
204 / 2025	23.04.2025	07/4/2026

उनवान

1. हीरा पिता गोपी गुर्जर, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थी

बनाम

1. उगमपुरी पिता छितरपुरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. सोहनी बाई पत्नी छितरपुरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. कैलाशपुरी पिता छितरपुरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. काली पत्नी कैलाशपुरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. राजूपुरी पिता प्रभुपुरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. लक्ष्मण पुरी पिता छितरपुरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. श्यामपुरी पिता छितरपुरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. शांतिदेवी पुत्री प्रभूपुरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. संतोकी बाई पुत्री प्रभूपुरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
10. सम्पतपुरी पिता छितरपुरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
11. प्यारी पत्नी गिरधारी बलाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
12. गोपालपुरी पिता नारूपुरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
13. बदामदेवी पत्नी गोपालपुरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
14. अनोपी बाई पत्नी कालूपुरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
15. अर्जुनपुरी पिता नारायणपुरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
16. मंजुदेवी पत्नी नारायणपुरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
17. रतनपुरी पिता कालुपरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
18. हीना पुत्री नारायण गोस्वामी, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
19. मंशापुरी पुत्र शंकर पुरी गोस्वामी, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
20. कालू पिता भूरा गुर्जर, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
21. कालू पिता परथु गुर्जर, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
22. रतनी पुत्री किशनलाल गुर्जर, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
23. लालू पिता गोपी गुर्जर, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
24. देवीलाल पिता बालू गुर्जर, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
25. गंगा पत्नी लक्ष्मणपुरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
26. गोपालपुरी पिता मांगु पुरी गुसाई, निवासी सोपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

—— **विपक्षीगण**

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थी श्री कन्हैयालाल सेन उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 26 उपस्थित नहीं**
3. **अप्रार्थी संख्या 27 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।**

–:: निर्णय ::–

निर्णय दिनांक 07/4/26

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैया लाल सेन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सोपुरा पटवार हल्का जागदरी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 124 रकबा 0.9231 हैक्टेयर, आराजी संख्या 52 रकबा 0.9705 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 4.8936 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

उक्त भूमि प्रार्थी एवं उसकी बहन टमू पुत्री गोपी के नाम दर्ज है, प्रार्थी की बहन टमू पुत्री गोपी की मृत्यु हो चुकी है जिससे उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर राजस्व अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 26 बाद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 26 के बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 26 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बहस का मनन एवं चिंतन किया गया तथा संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम सोपुरा पटवार हल्का जागदरी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 124 रकबा 0.9231 हैक्टेयर, आराजी संख्या 52 रकबा 0.9705 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 4.8936 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 2000–00 अक्षरे दो हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/5/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नंबर से कम हो।

07/5/26

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा